न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/4468/2005/चित्तौडगढ़

सुखदेव पुत्र श्री प्रताप, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम रेवलियाकलां, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।

....अपीलार्थी/वादी

बनाम

1– मदनलाल पुत्र स्व0 भेरा, जाति ब्राहम्ण

2– जगदीश पुत्र स्व0 भेरा जाति ब्राहम्ण

3– मु0 कमलाबाई पुत्री स्व0 भेरा जाति ब्राहम्ण

4– सत्यनारायण पुत्र स्व0 महादेव जाति ब्राहम्ण

5– मन्जू पुत्री स्व0 महादेव जाति ब्राहम्ण

6– कान्ता पुत्री स्व0 महादेव जाति ब्राहम्ण

7– शान्ती बेवा स्व0 महादेव जाति ब्राहम्ण

8– मांगीलाल पुत्र स्व0 प्रतापजी जाति ब्राहम्ण

9– बरदीचंद पुत्र स्व0 प्रतापजी जाति ब्राहम्ण

सभी निवासीगण ग्राम रेवलियाकलां, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ़।

10– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर

....प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

––

उपस्थितः–
श्री अशोकनाथ योगी, अधिवक्ता अपीलार्थी।

अपील/टीए/4468/2005/चित्तौडगढ़

सुखदेव बनाम बदनलाल

श्री भींयाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––

निर्णय

दिनांकः 13–08–19

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ द्वारा अपील सं0 100/2000 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 19–07–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा के न्यायालय में अधिनियम की धारा 88,53 एवं 188 के अन्तर्गत खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया, जिसे विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी सं0 5 से 7 से ने स्वीकारोक्ति का वादोत्तर पेश कर वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं0 2 से 4 ने जवाब पेश कर वाद के कथनो से इन्कार किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर अनुतोष के अलावा 11 वाद बिन्दु विरचित किए। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय 11–10–99 द्वारा वाद को डिक्री करते हुए विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 से 7 के संयुक्त खातेदारी की मानते हुए इसमें वादी व प्रतिवादी सं0 5 से 7 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा और प्रतिवादी सं0 2 व 3 का 1/2 हिस्सा घोषित कर विभाजन करने का आदेश पारित किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के साथ पेश की गई, जिसे उन्होंने

अपने निर्णय दिनांक 19–07–2005 द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–10–99 को निरस्त कर प्रकरण उन्हें निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमोंमें अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी/वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा अन्तर्गत अधिनियम 88,53 व 188 का विवादित भूमि बाबत् पेश कर उक्त भूमि का रामलाल व राजू की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि बताते हुए उनके 1/2–1/2 हिस्सेनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई प्राथमिक डिक्री जारी की, उसके विरूद्ध प्रस्तुतत अपील को राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 19–07–2005 को स्वीकार कर रिमाण्ड किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रिमाण्ड आदेश का आधार रामा को पक्षकार नहीं बनाने, तनकी सं0 1 से 4 पर विस्तार से विवेचन नहीं करने व पूर्ववर्ती वाद सं0 94/68 है परन्तु तनकी सं0 2 से 4 में 94/98 बनाए जाने को माना। जबकि रामा को भूमि बेचानकर्ता मूल खातेदार वाद में पक्षकार है, ऐसी स्थिति में क्रेता को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है व तनकी सं0 1 से 4 पर विचारण न्यायालय ने विस्तार से निर्णय पारित किया है तथा वाद सं0 94/68 की जगह तनकी सं0 2 से 4 में 94/98अंकित हो जाना मात्र टंकणीय त्रुटि है, इससे मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पडता। उनका यह भी

तर्क था कि जहां तक रेसज्यूडिकेटा का बिन्दू है, उसे राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पक्षकारान की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 18–06–2004 द्वारा निर्णित कर दिया गया है, जिसे व्यथित पक्षकार ने चुनौति नहीं दी, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अंतिम हो चुका है। उनका यह भी तर्क था कि अभिलेख पर समस्त साक्ष्य मौजूद है, ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री, जिसमें कि दोनों पक्षों को 1/2–1/2 हिस्से की ही खातेदार मानकर निर्णय पारित किया गया है, अतः प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना अविधिक है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–07–2005 निरस्त किया जाकर उन्हें प्रकरण उन्हें मेरिट पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावें अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावें। अपने तर्को के समर्थन में योग्य अधिवक्ता ने 2007 (1) आर0आर0टी0 पेज 385, 2007 (2) आर0आर0टी0 पेज 391,आर0एल0डब्ल्यू 2010 (1) आरजे 68 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि प्रकरण को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आब्तरवेशन के आधार पर निर्णित करने एवं पक्षकारों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकारकी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर परहस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः द्वितीय अपील निरस्त की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– प्रश्नगत प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 के खाता सं0 115 में अंकित भूमि खसरा नं0 153/9 ख रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा में रामा पिता नंदा गाडरी,मांगीलाल, वरदीचंद पिता प्रताप 1/2 हिस्सा अंकित है। इसी प्रकार खसरा नं0 154/4 ख रकबा 10 बिस्वा रामा पिता नंदा गाडरी के खातेदारी में अंकित है, ऐसी स्थिति में विभाजन के वाद में अभिलिखित खातेदार रामा जो कि आवश्यक पक्षकार है फिर भी उसे पक्षकार नहीं बनाया गया, इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने इन खसरा नंबर को वादी व प्रतिवादी सं0 2 से 7 के संयुक्त खातेदारी की घोषित करते हुए विभाजन का आदेश पारित कर दिया एवं विचारण न्यायालय में प्रतिवादी भेरा, महादेव एवं गटू के अधिवक्ता थे या नहीं, इस संबंध में भी विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट नहीं किया है। यदि प्रतिवादी सं0 2 से 4 के अधिवक्ता की मृत्यु बहस सुनने के पूर्व हो चुकी थी तो विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सूचित किया जाना चाहिए था किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही किया जाना दर्शित नहीं होता। इसके अलावा पूर्व वाद सं0 94/68 स्व0 प्रताप बनाम भेरा एवं महादेव पिता राधू में दिनांक 11–05–1971 को डिक्री जारी की गई, उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में इस संबंध में विवाद बिन्दू सं0 1 से 4 पर विचारण न्यायालय ने विस्तृत चर्चा किए बिना अपना निर्णय प्रदान किया। विचारण न्यायालय द्वारा 11 विवाद्यक विरचित किए गए, जिसे भी उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूर्ववर्ती

वाद 94/68 के संबंध में विवाद्यक सं0 1 विरचित किया गया जबकि विवाद्यक सं0 2 से 4 वाद सं0 94/98 के संबंध में बनाया गया, जिसे सिद्ध करने का भार वादी पर रखा गया, जबकि वादी ने अपने वाद में वाद सं0 94/98 का कोई उल्लेख नहीं किया, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने इन बिन्दूओं पर निर्णय प्रदान करते हुए यह नहीं देखा कि ये विवाद बिन्दू वाद सं0 94/98 के संबंध में है अथवा 94/98 के संबंध में ? उक्त विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति की परिप्रेक्ष्य में ही प्रथम अपीलीय न्यायालय ने माना कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है। हमारी राय में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन करने के पश्चात् विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए प्रकरण को आब्जरवेशन के आधार पर उभय पक्ष की बहस सुनकर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की त्रुटिकारित नहीं की है। अतः हम द्वितीय अपील को खारिज किया जाना उचित समझते है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य प्रश्नगत प्रकरण के तथ्यों से मेल नहीं खाते है, ऐसी स्थिति में वे प्रश्नगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते।

8– उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट) (शिखर अग्रवाल)

सदस्य सदस्य